न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

करण संख्या :– 34/2016 (2016/00475) दिनांक 26.09.2016

।.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

अनवान

1. बद्रीलाल पिता मांगीलाल ब्राह्मण निवासी डेलाना तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. प्यारालाल पिता मांगीलाल ब्राह्मण निवासी डेलाना तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. मांगुदास पिता भागीरथदास बैरागी निवासी डेलाना तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. सांवर पिता बालुदास बैरागी निवासी डेलाना तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. भंवरी बेवा बालुदास बैरागी निवासी डेलाना तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
6. कालु पिता जानकीदास बैरागी निवासी डेलाना तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
7. भूरा पिता सीताराम बैरागी निवासी डेलाना तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
8. श्रीराम पिता लेहरू जाट निवासी डेलाना तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
9. हरलाल पिता शोभालाल जाट निवासी डेलाना तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. चतरभुज पिता कालु गाडरी निवासी डेलाना तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. लहरू पिता नाराण गाडरी निवासी डेलाना तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. सरपंच ग्राम पंचायत डेलाना पंचायत समिति सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीगण : श्री [illegible]

अधिवक्ता विपक्षीगण : श्री [illegible]

विपक्षी : [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi

Date: 2021.01.05 16:44:45 IST

Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन

उपखण्ड अधिकारी

गंगापुर जिला भीलवाड़ा

1.

Scanned with CamScanner

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट कराये जाने राजस्व नक्शे में दुरूस्ती ::

निर्णय दिनांकः–.14.08.2020

:: निर्णय::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम राजस्व डेलाना तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में आराजी खसरा नं0 361 मीन रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा स्थित है। उक्त साबिक आराजी में से आबादी विस्तार हेतु 3 बीघा भूमि का रकबा दिनांक 02.12.1978 को जरिये आदेश संख्या 204 सन् 1975 को आबादी में परिवर्तन कर लिया गया। तीन बीघा आराजी के रकबे को आबादी में परिवर्तन करने के बाद अगला जमाबंदी का रोटेशन बनवाया गया उसमें भी 361 मीन साबिक के नवीन नम्बर 1401 रकबा 0.65 हे0 बिलानाम गैर काबिल काश्त अंकित कर दिया। प्रमाण में साबिक जमाबंदी गांव डेलाना की एवं साबिक राजस्व नक्शा की फाटो प्रतिया पेश है।

यह कि तीन बीघा भूमि का रकबा आबादी में परिवर्तन किया जिसका विधिवत् नामान्तरण संख्या 376 खोला गया जिसकी नकल साथ पेश की जा रही है।

यह कि ग्राम डेलाना का भू–प्रबंध हुआ , भू–प्रबंध के दौरान सेटलमेन्ट वालों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के मनमकसूद जो साबिक राजस्व नक्शा का नया नक्शा तैयार किया गया इस नये नक्शे को साबिक नक्शे के अनुरूप नहीं बना कर गलत ढंग से आराजी नं0 361 की दक्षिण तरफ कोना बना हुआ था उसके अनुसार नये नक्शे में दक्षिण तरफ कोना देकर केवल सीधी लाईन नये नक्शे में अंकन कर दिया और सीधी लाईन नये नक्शे में अंकित कर देने से साबिक आराजी संख्या 361 मीन से लगी चतरभुज पिता कालु एवं लेहरू पिता नाराण गाडरी निवासी डेलाना की हाल आराजी नं0 1402 एवं 1403 स्थित है में मुझ प्रार्थीगण की खातेदारी की हाल आराजी संख्या 1401 का कुछ हिस्सा चतरभुज पिता कालु एवं लहरू पिता नाराण गाडरी की आराजी संख्या 1402 एवं 1403 में मिला दिया गया जो गलत है। विपक्षी संख्या एक व दो की आराजी संख्या 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1412, 1413 जिसके साबिक नम्बर 359, 360 है व आराजी संख्या 1419, 1420, 1421 के साबिक नम्बर 358 है। सेटलमेन्ट वालो ने अपनी मनमानी व गलत ढंग से परिवर्तन किया जिसको पुनः धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत दुरूस्त कराया जाना आवश्यक है। प्रमाण में नई जमाबंदी की नकलें एवं नवीन नक्शा एवं मिलान क्षैत्रफल की नकल साथ पेश की जा रही है।

अतः साद प्रार्थना हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गांव डेलाना की साबिक आराजी संख्या 361 मीन रकबा 3 [illegible] 1401 रकबा 0.65 हे0 के जो नवीन नक्शे में पश्चिमी भुजा का दक्षिणी – पश्चिम [illegible] जो गलत बना दिये जाने से साबिक राजस्व नक्शे के अनुरूप ही न[illegible] एल0आर0एक्ट के तहत दुरूस्त कराया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:44:45 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण विधिवत् दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया जो सूचना होने के बावजूद विपक्षीगण एवं पेरोकार उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या एक व दो द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत मनगढंत व झूठे आधारों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें, एवं आराजी संख्या 1402 व 1403 के हिस्से पर से प्रार्थीगण का नाजायज कब्जा हटाया जाकर उक्त आराजियात हमारे सिपुर्द कराई जावें।

प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण में मौका निरीक्षण हेतु कमिशनर नियुक्त करने हेतु दिनांक 23.06.2017 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर बहस उभयपक्ष सुनी जाकर कमीशनर नियुक्ति का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सहाड़ा को कमीशनर नियुक्त किया गया। तहसीलदार सहाड़ा के पत्रांक राजस्व/18/52 दिनांक 24.01.2018 को कमीशनर रिपोर्ट पेश की गई । रिपोर्ट अनुसार ग्राम डेलाना के वादग्रस्त साबिक आराजी नं0 361/2 रकबा 3 बीघा हाल आराजी नं0 1401 रकबा 0.65 हे0 भूमि की साबिक व हाल राजस्व रेकार्ड अनुसार व मौके अनुसार आवश्यक जांच की गई मौके पर नपती अनुसार आराजी नं0 361 का पश्चिमी हिस्से में ग्राम पंचायत डेलाना द्वारा भूखण्ड आवंटन किये गये थे, नाम अनुसार संलग्न नक्शे लाल स्याही से वर्तमान नक्शे में दर्शाये अनुसार आराजी नं0 1402 में से 0.10 हे0 व आराजी नं0 1403 में 0.10 हे0 भूमि पुराने नक्शे अनुसार आराजी नं0 361/2 आबादी की आती है।

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण अधिवक्ता की बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना –पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना – पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया । एवं विपक्षीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र को झूठा एवं असत्य बता कर खारिज करने हेतु निवेदन किया।

बाद बहस मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। ग्राम राजस्व डेलाना तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में आराजी खसरा नं0 361 मीन रकबा 7 बीघा 19 विस्वा में से आबादी विस्तार हेतु 3 बीघा भूमि आबादी हेतु आवंटन हुई उसका तरमिम शुदा नक्शा पत्रावतली में शामिल नहीं है जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि आराजी नं0 1402, 1403 में जिस जगह प्रार्थीगणों का कब्जा है उसी जगह आबादी आवंटन हुई थी। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट को साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश::

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का साक्ष्य के अभाव में से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2020 खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:44:45 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर
सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner